न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 196/2017 **दायरा दिनांक : 07.11.2017**

उनवान

बाबूलाल आत्मज कालूलाल जी, जाति रेगर, निवासी ग्राम इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां

2— केसरीलाल आत्मज देवलाल जी, जाति तेली, निवासी इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां

3— प्रभारी चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इकलेरा, तहसील बारां जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 12.02.2018**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 06/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट की ओर से एक दावा अन्तर्गत धारा 175–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ पेश कर यह कथन किया गया कि राजस्व रेकार्ड के मुताबिक ग्राम इकलेरा, तहसील बारां में खाता संख्या 238 की खसरा नम्बर 643 रकबा 0.54 हेक्टर आराजी बाबूलाल पुत्र कालूलाल के खाते में दर्ज है । आई एल आर बामला ने अवगत कराया है कि 0.54 हेक्टर आराजी पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है । खातेदार द्वारा एक विक्रय इकरारनामा दिनांक 07.02.2013 को किया गया है जिसके अनुसार 110000/– रूपये में केसरी लाल पुत्र देवलाल को आराजी का विक्रय किया गया है । पुनः इकरारनामा दिनांक 23.05.2013 को निष्पादित किया है और खसरा नम्बर 643 रकबा 0.54 हेक्टर का केसरीलाल को 55000/– रूपये में विक्रय किया है । खातेदार द्वारा धारा 42 बी के उल्लंघन में विक्रय किया है । अतः आराजी सिवाय चक दर्ज की जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2017 से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है और वादग्रस्त आराजी को सरकारी सिवाय चक दर्ज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट को आवंटित की गई है और कब्जा दिया गया है । राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार दर्ज किया गया है और आवंटन नियमों की पालना में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं । अपीलांट की आराजी पर कुछ व्यक्तियों ने जबरन कब्जा किया है और कुछ भूमि पर उपस्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर

अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है । सरपंच की रिपोर्ट को प्रदर्श नहीं करवाया गया है । जवाब में वर्णित तथ्यों का रेस्पोडेंट ने कोई खण्डन नहीं किया है । अपीलांट ने आराजी का विक्रय नहीं किया है और न ही कब्जा दिया है । रेस्पोडेंट के न तो स्वयं के बयान हुए हैं और न ही वो बयान के लिए उपस्थित हुए हैं । अपीलांट की मुख्य परीक्षण दर्ज नहीं की गयी है और रेस्पोडेंट से अपीलांट को जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । न तो जोधराज को पक्षकार बनाया है और न ही उसे साक्ष्य में प्रस्तुत किया है । जवाब प्रार्थना पत्र के बाद प्रकरण दावे में परिवर्तित हो जाता है, जिस पर तनकीयात कायम होना आवश्यक है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी अपीलांट को सन् 1985 में आवंटित हुई थी जिस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । अपीलांट ने आराजी का विक्रय नहीं किया है । कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है । जवाब प्रार्थना पत्र आने के बाद धारा 175 का प्रकरण दावे में परिवर्तित हो जाता है । तनकीयात कायम नहीं की है । साक्ष्य से जिरह का अवसर नहीं दिया है । दस्तावेज को एक्जीविट नहीं करवाया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

6 पैरोकार सरकार ने कथन किया कि आवंटन के बाद अपीलांट का कब्जा नहीं रहा है । धारा 42 बी के उल्लंघन में आराजी का विक्रय किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

7 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2070–73, रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 2.07.2015, नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी सम्वत 2070–73 खसरा नम्बर 643 की प्रमाणित प्रति, ग्राम पंचायत इकलेरा का पत्र दिनांक 28.12.2015, इकरारनामा असल दिनांक 23.05.2013 पेश किये गये हैं और बयान कन्हैया लाल, बाबूलाल, गोबरी लाल, केसरी लाल कराये गये हैं । गवाहों के बयान पर पी डब्ल्यू अथवा डी डब्ल्यू अंकित नहीं किया गया है न ही इस पर नम्बर अंकित हैं ।

अधीनस्थ नयायालय में सरकार की ओर से तहसीलदार बारां के द्वारा धारा 175–177 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका अपीलांट ने जवाब पेश किया है । धारा 175 (4) के अनुसार जब प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जाता है तो उसे दावे के रूप में निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्राप्त होने के उपरान्त तनकीयात कायम नहीं की है और वादी की ओर से और प्रतिवादी की ओर से कराये गये बयानात में दूसरे पक्ष को जिरह का अवसर नहीं दिया है, न ही गवाहान के बयानात पर पी डब्ल्यू अथवा डी डब्ल्यू नम्बर अंकित किये गये हैं । पेश किये गये दस्तावेजात को एक्जीविट भी नहीं करवाया गया है । इस प्रकार धारा 175 (4) के तहत प्रकरण को दावे के रूप में निस्तारण करने हेतु सी पी सी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है जो त्रुटिपूर्ण है ।

8 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 7 में किये गये विवेचन के अनुसार तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ नयायालय में दिनांक 25.04.2018 को उपस्थित होवें ।

9 निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा